न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)
पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 50 / 2024
GCMS No. 2024 / 181

राधेश्याम खारिया पुत्र पुर्णाराम जाति मेघवाल निवासी 4 / 80 राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड वार्ड न0 4 झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू

–प्रार्थी

बनाम

1. रणवीरसिंह पुत्र भोलाराम जाति जाट निवासी खारीया तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मलसीसर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वकील प्रार्थी – श्री विजयसिंह लालपुरिया
वकील अप्रार्थी– श्री जयसिंह गौड़

निर्णय

दिनांक 30.07.2025

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक वाके ग्राम घासीराम का बास पटवार हल्का हरिपुरा तहसील मलसीसर की सरहद में भूमि ख.न. 92 रकबा 3.74 हैक्टर भूमि में आवेदक 129 / 307वें हिस्से का खातेदार काश्तकार है एवं काबिज काश्त है। ग्राम घासीराम का बास की सरहद में ही अवस्थित भूमि हाल ख.न. 93 रकबा 0.76 हैक्टर भूमि अनावेदक संख्या 1 की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। जिस पर वे काबिज काश्त हैं। आवेदक अपनी भूमि में अनावेदक संख्या 1 के खेत खं.न. 93 में से आवागमन कर रहा है पूर्व में भी उक्त रास्ते से ही ऊंट गाड़ा मवेशी, टैक्टर आदि का आवागमन रहा है। आवेदक के पास अपनी भूमि में जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है उक्त रास्ता महरादास से खारिया बस स्टेण्ड को जाने वाली ग्रेवल सड़क से भूमि ख0न0 93 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे होते हुये नजरी नक्शा में दर्शित भूमि ए. से बी. तक जाता है। आवेदक अपनी भूमि पर उद्यान आदि विकसित करना चाहता है जिसके लिये आवेदक को अपनी भूमि पर बड़ा वाहन ले जाने की आवश्यकता पड़ सकती है इसलिये आवेदक नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु ए. से बी. अनावेदक नं. 1 की भूमि ख.न. 93 में से 8 मीटर चौड़ा रास्ता कटानी दर्ज करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता हैं जो कि न्याय संगत है। आवेदक उक्त रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले डी एल सी दर की दुगुनी दर से न्यायालय के आदेशानुसार भुगतान करने के लिये तैयार है। आवेदक को अनावेदक नं.1 अपनी भूमि ख.न. 93 में से जाने वाले रास्ते से आवागमन के लिये मना कर रहे है तथा उक्त रास्ता बन्द करने की धमकी दे रहे है जिससे आवेदक का अपने खेत में काश्त आदि के लिये जाने का रास्ता बन्द हो जावेगा क्योंकि आवेदक के पास अपने खेत में जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदक को अपनी भूमि खेत ख0न0 92 में आने–जाने के लिये अनावेदक

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

संख्या 1 के खेत ख0न0 93 में से होकर सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार 8 मीटर चौड़ा रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता अकंन किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि आवेदक के पास ग्राम घासीराम का बास के खाता संख्या 28 ख0न0 92, 105 कुल किता 2 कुल रकबा 6.14 है0 भूमि स्थित है आवेदक की भूमि ख0न0 105 के पश्चिम दिशा में ख0न0 88 गै0मु0 रास्ता मौजुद है/लगता है। आवेदक के पास रास्ता होने के बावजूद आवेदक द्वारा मनगढ़त एवं साजसी आवेदन पत्र पेश किया जो कि स्वत ही काबिले खारिज है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन पत्र मय कोस्ट खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से कोई उपसंजात नहीं हुआ। पक्षकारान को नोटिस विधिवत तामिल होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने परएकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार मलसीसर के पत्र क्रमांक 950 दिनांक 13.05.2025 से रिपोर्ट प्रेषित की। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी उक्त रिपोर्ट में अंकित किया है कि ख0न0 92 में जाने के लिये ख0न0 93 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे सबसे लघुतम मार्ग है जिसकी लम्बाई 50 मीटर है। आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है इसके अतिरिक्त अन्य कोई लघुतम मार्ग नहीं हो सकता।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता आवेदक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आवेदक के पास अपने खेत में आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है तथा तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा चाहा गया लघुतम रास्ता रिकार्ड में कटानी दर्ज करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र खारित करने का निवेदन किया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी की ओर से अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि ख0न0 92 में आने जाने हेतु खेत ख0न0 93 में से सलंग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार मार्क ए से बी तक रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक के खेत में जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है तथा आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता लघुतम है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों, तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। आवेदक को खेत खसरा नम्बर 92 में आने–जाने के लिये ख0न0 93 में प्रार्थना पत्र साथ सलंग्न नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से बी तक 4 मीटर चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार मलसीसर को निर्देशित किया जाता है कि ख0न0 93 में से रास्ते में आने वाली भूमि के बदले डी.एल. सी. का दो गुणा राशि आवेदक से वसूल कर ख0न0 93 के खातेदार को दी जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार मलसीसर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर